>

Title: Regarding reservation for SC/ST in services in Delhi.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): माननीय सभापति जी, मैं बहुत ही सेंसिटिव इश्यू की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एससीएसटी आरक्षण के साथ आये दिन किसी न किसी तरीके से छेड़छाड़ होती रहती है। हमारे यहां दिल्ली में एसटी के लिए वर्ष 1955 से 7.5 प्रतिशत आरक्षण लागू था। हाईकोर्ट के फैसले की आड़ में दिल्ली की शीला सरकार ने उस आरक्षण को समाप्त कर दिया।

सरकार एसटी के हित में न तो अपील में गयी, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले के पहले सुप्रीम कोर्ट की डीडी का फैसला था कि यूटीज में एसटी को दिया आरक्षण जायज है, उसके बावजूद भी क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी इसलिए दिल्ली में एसटी के आरक्षण को समाप्त कर दिया।

13.00 hrs.

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे नार्थ-ईस्ट स्टेट्स हों या झारखंड तथा छत्तीसगढ़ हो, एसटी में नक्सलवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप एसटी लोगों को देश की मूल धारा में लाना चाहते हैं और उनका शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, उनका आर्थिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं, सामाजिक समानता की दृष्टि से उन्हें बराबर लाना चाहते हैं, जिससे कि वे आगे बढ़ सकें। दिल्ली में एसटी लोगों का आरक्षण खत्म किया है, इसके कारण वे न तो बड़े संस्थानों में दखिला ले पा रहे हैं और न ही उन्हें नौकरी मिल पा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि दिल्ली में एसटी लोगों का आरक्षण खत्म किया है, उसे बहाल किया जाए। वर्ष 2004 से एक बिल पेंडिंग पड़ा है, उसे पारित किया जाए, जिससे सुपर स्पेशियलिटी फील्ड की विभिन्न संस्थाओं में प्रमोशन आदि में आरक्षण की सुविधा एससी और एसटी को मिल सके। एससी और एसटी के आरक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसके कारण एससी और एसटी का आरक्षण उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। इसके कारण एससी और एसटी लोगों में बहुत असंतोष है और आए दिन आरक्षण के साथ जो छेड़खानी की जा रही है, उसके कारण देश भर के एससी और एसटी लोगों के मन में बड़ा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप आईपीएल के मुद्दे पर सदन में उत्तर दे सकते हैं, सदन में दो मंत्री उपस्थित हैं, क्या एससी और एसटी के आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए आप उसे नौवें शेडयूल में डालना चाहते हैं या नहीं या संविधान में कोई संशोधन करना चाहते हैं या नहीं? मेरी मांग है कि सरकार संविधान में संशोधन करे और एससी तथा एसटी लोगों के आरक्षण के हितों की रक्षा करे। ऐसा बिल तुंत संसद में लाना चाहिए। सदन के बाहर भी एससी और एसटी से संबंधित एमपी फोरम बनाकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राज्य सभा में भी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और सुश्री मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाया है। यह बहुत गंभीर मामला है। असंतोष और आक्रोश ज्यादा न बढ़े। इसलिए मेरी मांग है कि आरक्षण के 2004 के बिल को लागू किया जाए और सरकार प्रमोशन में आरक्षण को जो खत्म कर रही है, उसे हटाया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए।

सभापति महोदय :

श्री दारा सिंह चौहान,

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी,

श्री वीरेन्द्र कुमार,

श्रीमती ज्योति धुर्वे, और

श्री अशोक अर्गल अपने आपको डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।